अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 08/2013

अशोक बैठा

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 3009, दिनांक 18.09.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 24.05.2012 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,तरैया के द्वारा अशोक बैठा, ज0वि0प्र0वि, अनु0 सं0–55/07, पंचायत–डुमरी ,प्रखंड–तरैया की दूकान की जांच की गई। जाँच के क्रम में, विक्रेता की दूकान से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई– 1. भंडार पंजी अद्यतन संधारित नहीं था, जिससे भंडार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।भंडार का भौतिक सत्यापन करने पर भंडार में लगभग 100 ली0 किरासन तेल पाया गया। विक्रेता के द्वारा अब तक माह मई 2012 के किरासन तेल का उठाव नहीं किया गया है। विक्रेता के द्वारा सामान्यतः माह के अंतिम सप्ताह में किरासन तेल का उठाव किया जाता है,जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। 2. विक्रेता के द्वारा अभिलेखों का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है। 3. उपभोक्ताओं को कैश मैमो नहीं दिया जाता है। 4. खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मात्रा से कम किया जाता है, तथा	

मूल्य ज्यादा लिया जाता है।

5. किरासन तेल निर्धारित दर से ज्यादा लेकर वितरण किया जाता है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी,मढौरा,सारण के ज्ञापांक 1395,दिनांक 31.08.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को अपने ज्ञापांक 3009, दिनांक 18.09.2012 के द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि भंडार पंजी संधारित था, किन्तु वितरण की स्थिति में संधारण स्पष्ट नहीं पाया। भौतिक सत्यापन के कम में 100 ली0 किरासन तेल पाये जाने के संबंध में कहना है कि विक्रेता के द्वारा वितरण का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद यह मात्रा अवशेष पाया गया। जहॉ तक किरासन तेल के अंतिम सप्ताह में उठाने की बात है इस संबंध में कहना है कि विक्रेता के द्वारा रोस्टर के अनुसार किरासन तेल का उठाव किया जाता है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के प्रतिकूल अनियमितताएँ बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3009, दिनांक 18.09.2012) में कई कमियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कारण पृच्छा मे विक्रेता के विरूद्ध आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही विक्रेता को उपभोक्ताओं के बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है। इस तरह

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट और अपूर्ण है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विकेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर कारण पृच्छा किया जाए,उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति विकेता को उपलब्ध कराई जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 502 /न्या0, दिनांक 04/8/15

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री मो0 खालिद, विद्वान विशेष लोक अभियोजक,7ई0सी0,सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,एन0आई0सी0सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
04/8/15